न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

———————————

अपील संख्या :– 40 ए/2019 (18/2015) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. मंगल सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर (मृतक)
2. सतनाम पुत्र बलवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान
3. गुरदीप सिंह पुत्र मंगलसिंह
4. हरदीप सिंह पुत्र मंगलसिंह
5. प्रितोबाई स्त्री मंगलसिंह
6. बानोबाई पुत्री मंगलसिंह
7. करतारो बाई पुत्री मंगल सिंह

जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैंड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:———————— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 1.4.2015

———————————————————

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. राजकीय अभिभाषक :– श्री अमर चन्द चौधरी

निर्णय दिनांक 11.11.2021.

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 100/2015 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 1.4.2015, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मंगल सिंह ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि ग्राम शेखपुर की दीगर आराजी खसरा नम्बरान के साथ साबिक खसरा नम्बर 759/4–18 किता 9 रकबा 16 बीघा वादी के पिता बोगासिंह को आवंटित हुई थी । उनके देहान्त के बाद उनके पुत्र वादी ने राज कोष जमा करा कर सनद पट्टा खातेदारी संख्या 1508 दिनांक 4.5.73 को प्राप्त कर लिया था । सनद पट्टा के आधार पर इन्तकाल खातेदारील नम्बर 85 दिनांक 23.9.78 को स्वीकृत हो चुका था । परन्तु पटवारी हल्का ने इंतकाल दर्ज करते समय साबिक व हाल खसरा नम्बरान का जो मिलान क्षेत्रफल अंकित किया है, उसमें वादी को साबिक खसरा नम्बर 759 मिन रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के हाल नम्बर 1036/0–07, 1041/0–07 पर ही खातेदारी हकूक दिये गये तथा हाल नम्बर 1037/1–10, 1038/2–14 पर सनद पट्टा संख्या 1508 तथा इन्तकाल खातेदारी संख्या 85 दर्ज होने के समय पूर्व से ही उपरोक्त हाल खसरा नम्बर 1037 व 1038 पर इसब पुत्र नजबू मेव खातेदार दर्ज था । इस कारण ना तो वादी का कब्जा रहा और ना ही उसे खातेदारी अधिकार दिये गये । वादी का अलोटशुदा रकबा हाल खसरा नम्बर 1034 व 1035 में शेष रहा । वादी ने एक राजस्व वाद संख्या 216/2012 उपखंड अधिकारी, किशनगढबास के यहां पेश किया था, जो दिनांक 17.10.2012 को आराजी हाल खसरा नम्बर 868, 1041, 1041/1098, 1042, 1043 किता 5 रकवा 2.39 हेक्टेयर में से 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि की डिकी वादी के पक्ष में पारित की गई थी । वादी का 2 बीघा 12 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 759 में शेष रहा । अतः वादी हाल खसरा नम्बर 1034, 1035 बाद दुरूस्ती अपना रकवा 2 बीघा 12 बिस्वा प्राप्त करने का अधिकारी है । लिहाजा वाद पत्र डिकी किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 1.4.2015 द्वारा

उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादी मंगल सिंह ने यह अपील पेश की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि तहत अदालत में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से वाद पत्र साबित था, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया । तहत अदालत ने रेसज्यूडीकेटा गलत माना है, क्योंकि मैंने पूर्व के वाद में केवल मात्र खसरा नम्बर 868, 1041, 1041/1098, 1042/1043 किता 5 रकबा 2.39 हेक्टेयर में से रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा साबिक खसरानम्बर 759 की बाबत ही वाद पेश किया था । उक्त वाद में खसरा नम्बर 1034 व 1035 शामिल नहीं थे, परन्तु तहत अदालत ने इन नम्बरों को शामिल मानते हुये मौजूदा वाद में रेसज्यूडीकेटा मान लिया । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 राज्य सरकार रेस्पो0 की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वादी अपीलांट ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कराया है । सनद में खसरा नम्बर 1034 व 1035 का अंकन नहीं है । पूर्व में वादी द्वारा जो वाद संख्या 216/2012 पेश किया था, उसमें भी विवादित खसरा नम्बर 1034 व 1035 थे और मौजूदा वाद भी इन्हीं नम्बरों की बाबत है । इसलिये मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू होता है । वादी ने जिन नम्बरों को विवादित बनाया है, उनके काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया है । इसलिये वाद पत्र दोषपूर्ण है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । दौराने विचारण अपील अपीलांट मंगल सिंह का देहान्त हो गया था । प्रार्थी सतनाम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0 पी0 सी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट मृतक मंगल सिंह ने उसके पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी । इसलिये प्रार्थी अपीलांट को मृतक मंगल सिंह के स्थान पर अपीलांट के रूप में पक्षकार बनाया जावे । अदालत हाजा के आदेश दिनांक 27.12.2016 द्वारा प्रार्थी सतनाम पुत्र बलवन्त सिंह को अपीलांट के रूप में पक्षकार बनाया गया था । इसी दिनांक 27.12.2016 को अदालत हाजा ने प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा मानते हुये एवं प्रकरण को मिस ज्वाईण्डर ऑफ पार्टीज का ग्रसित मानते हुये अपील खारिज की थी । अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 27.12.2016 के खिलाफ अपीलांट

6 प्रार्थी सतनाम ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में द्वितीय अपील

पेश की गई थी, जो निर्णय दिनांक 22.10.2018 को स्वीकार कर प्रकरण अदालत हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि उभयपक्ष को सुनकर आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों की पालना करते हुये प्रकरण का निस्तारण करें । अतः आदेश 41 नियम 31 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जा रहा है ।

7 वादी ने तहत अदालत में मुख्य रूप से यह कथन किया था कि उसे साबिक खसरा नम्बर 759 में से भूमि अलोट हुई थी । इस साविक खसरा नम्बरों से बने हाल नम्बरों पर तो उसे खातेदार दर्ज कर दिया, परन्तु साबिक खसरा नम्बर 759 मिन से बने हाल नम्बर 1034 व 1035 में से 2 बीघा 12 बिस्वा पर खातेदार दर्ज नहीं किया, क्योंकि ये नम्बर पहले से ही दीगर लोगों की खातेदारी में थे । इस सम्बन्ध में हमने तहत पत्रावली का अवलोकन किया । वादी को उसकी अलोटशुदा भूमियों पर खातेदारी का इंतकाल नम्बर 85 स्वीकृत हुआ है । उक्त इन्तकाल में खसरा नम्बर 1034 व 1035 का अंकन नहीं है । ना ही वादी ने इन नम्बरों पर अपने कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई राजस्व रेकार्ड पेश किया है । इस प्रकार वादी इन नम्बरों पर अपना अधिकार साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है । यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इन नम्बरों के वर्तमान खातेदारों को वादी ने पक्षकार नहीं बनया है । इसके अलावा पूर्व में पेश किये गये वाद संख्या 216/2012, जिसका निर्णय दिनांक 17.10.2012 को हुआ था, का अवलोकन किया तो पाया कि अन्य नम्बरों के साथ साथ मौजूदा वाद के विवादित खसरा नम्बर 1034 व 1035 भी उक्त पूर्ववर्ती वाद में विवादित थे । ऐसी स्थिति में पुनः इन्हीं नम्बरों की बाबत वाद पेश करना विधिसम्मत नहीं है । तहत अदालत ने तनकीवार निर्णय में जो विवेचना की है, उसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है । लिहाजा अपील

8 खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के

9 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.4.2015 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 40 ए/2019 (18/2015) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. मंगल सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर (मृतक)
2. सतनाम पुत्र बलवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान
3. गुरदीप सिंह पुत्र मंगलसिंह
4. हरदीप सिंह पुत्र मंगलसिंह
5. प्रितोबाई स्त्री मंगलसिंह
6. बानोबाई पुत्री मंगलसिंह
7. करतारो बाई पुत्री मंगल सिंह

जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैंड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:———— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढवास
दिनांक 1.4.2015

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री जनार्दन शर्मा

2. राजकीय अभिभाषक :— श्री अमर चन्द चौधरी

पर्चा डिकी दिनांक 11.11.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिकी दिनांक 1.4.2015 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)